



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56582

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1859/2026

जाहिद अंसारी

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: मनवेंद्र नारायण पाठक

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया। कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 को नोटिस तामील करा दिया गया है।
2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (2) के तहत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम, देवरिया द्वारा दिनांक 13.1.2026 को जमानत आवेदन संख्या 2339/2025 में पारित आदेश को रद्द करने और उसे मुकदमा अपराध संख्या 326/2025 में धारा 115 (2), 118 (1), 352, 110, 309 (6) बी.एन.एस. और धारा 3(2)(वी) एससी/एसटी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- तारकुलवा, जिला देवरिया के तहत रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि अपीलकर्ता ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचनादाता के साथ मारपीट की है/लोहे की छड़ से उसे घायल किया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता-आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने कथित अपराध नहीं किया है। अपीलकर्ता का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ता के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए हैं। अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। कथित घटना की एफआईआर 5.10.2025 को दर्ज की गई है, जिसमें घटना की तारीख 10.9.2025 बताई गई है और इसमें चौतीस दिन की देरी हुई है। इस एफआईआर को दर्ज करने में हुई देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। किसी भी आरोपी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। अपीलकर्ता के कब्जे से या उसके द्वारा बताए जाने पर कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। आज तक इस मामले में अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई आरोप तय नहीं किया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह अभियुक्त तेनी प्रसाद उर्फ विजय कुमार को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा जमानत आवेदन संख्या 6634/2026 में दिनांक 23.2.2026 के आदेश द्वारा जमानत दी जा चुकी है, अतः, अपीलकर्ता भी जमानत का हकदार है। अपीलकर्ता 17.11.2025 से जेल में है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता और सजा की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में अपीलकर्ता **ज़ाहिद अंसारी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (ii) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (iii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
 - (iv) अपीलकर्ता कोई अपराध नहीं करेगा।
 - (v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।
 - (vi) अपीलकर्ता प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - (vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो अपीलकर्ता साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।
 - (viii) अपीलकर्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

ए.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"